


समक्ष:- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमोंक :

प्रस्तुति दिनांक : 19.10.2015

द्वारा आज दि. 26/10/15 को प्रस्तुत



निम्न / 3485 - II - 15

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजीवमोहन पांडे उम्र करीब 52 वर्ष पिता मनमोहन पांडे

निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला-दमोह (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमोंक 70 अ/68, वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

मान्यवर्

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने आज से करीब 41 साल पहले निगरानीकर्ता एवं उसके भाई संजीवमोहन पांडे के नाम से ख.नं. 162/1क से लगे ख.नं. 163/1 की भूमि रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20.06.1974 के जरिए मकान बनाने

28.10.15

Rey

Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3485-दो/15

जिला -दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
16.11.15	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 70/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.10.15 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>2- निगरानी में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में प्रकरण चल चुका है जिसमें प्र0क0 107/अ-68/81-82 चला था जिसमें न्यायालय तहसीलदार हटा द्वारा दिनांक 9.4.82 को विचारण उपरांत आदेश पारित किया गया था जिसकी निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसकी राजस्व प्र0क0 31/अ-68/81-82 था जिसमें अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 30.6.82 को निगरानीकर्ता की अपील स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार हटा का आदेश दिनांक 9.4.82 को निरस्त कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया था उक्त आदेश को शासन द्वारा आज तक चुनोती नहीं दी गई जिस कारण से उक्त आदेश दिनांक 30.6.82 अंतिम हो चुका है । आवेदक द्वारा दिनांक 30.6.82 के आदेश के सत्यप्रतिलिपि पेश की है ।</p> <p>3- उपरोक्त विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि आदेश दिनांक 30.6.82 अंतिम होकर स्थिर हो गया है क्योंकि शासन ने इन आदेश के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की है । आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि ऐसी स्थिति में उसी भूमि पर उन्हीं पक्षकारों के</p>	

Ra




मध्य एवं उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः प्रकरण चलाना पूर्व न्याया (रेसजूडीकेटा) की श्रेणी में आता है जिससे पुनः न्यायालय तहसीलदार को पुनः विचारण करने का क्षेत्र अधिकार नहीं रह जाता है ।

4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 आबादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस पर इमारती संपत्ति खड़ी है । उन्होंने यह भी बताया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर के उस पर यदि कोई इमारत बनी हुई है तो उसे सिविल न्यायालय के डिक्री द्वारा ही हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं इस संबंध में न्याय दृष्टांत जे0 एल0जे0 2000 (2) नो 143 स्टेट ऑफ एम0पी एवं अन्य विरुद्ध उत्तमचंद एवं अन्य प्रस्तुत किया है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है ।  
आदेश दिनांक 13.10.15 निरस्त किया जाता है ।

Res

  
सदस्य